कार्यालय : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश संख्या/प्रा0शि0–दो(02)/315 /17(iv)/ 2017–18 दिनांकः 23 अगस्त, 2017

प्रारम्भिक शिक्षा (elemenary education) में सेवारत् अप्रशिक्षित शिक्षकों के D.El.Ed. प्रशिक्षण के संदर्भ में अतिरिक्त प्रावधान

कार्यालयः निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा विज्ञप्ति संख्या/295/दिनांकः 11 अगस्त, 2017 प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में समस्त राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त प्राइवेट/पब्लिक स्कूल (राज्य सरकार, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त समस्त प्राइवेट/पब्लिक सकूल सहित/संस्कृत विद्यालय/समाज कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि कक्षा–1 से कक्षा–8 तक की कक्षाओं में शिक्षण हेतु नियुक्त ऐसे शिक्षक जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) नई दिल्ली की अधिसूचना/दिनांकः 23 अगस्त, 2010 एवं अधिसूचना/दिनांकः 29 जुलाई, 2011 में कक्षा–1 से कक्षा–5 एवं कक्षा–6 से कक्षा–8 में शिक्षण हेतु शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दी गई न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण नहीं करते हैं, वे दिनांकः 15 सितम्बर, 2017 से पूर्व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की वेबसाइट में जाकर स्वयं Registration/ आवेदन अवश्य करवा लें। NIOS की वेबसाइट में अप्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य को पृथक–पृथक Login ID बनानी होगी, तदुपरान्त **शिक्षक को स्वयं Registration एवं आवेदन करना होगा। शिक्षक द्वारा किये गये Registration/ आवेदन को प्रधानाचार्य द्वारा Authentication** किया जायेगा। Online Registration एवं Authentication की प्रक्रिया निम्नवत् है :–

NIOS website address : nios.ac.in अथवा dled.nios.ac.in

1. अप्रशिक्षित शिक्षकों के Registration की प्रक्रिया (For teacher registration) : (a) सेवारत विद्यालय के UDISE CODE होने की स्थिति में (having UDISE CODE)☛Email-ID☛Mobile☛ Password (minimum 6 characters) ☛Confirm Password☛UDISE CODE☛Type of School अथवा (b) सेवारत विद्यालय के UDISE CODE नहीं होने की स्थिति में (without having UDISE CODE)☛Email-ID☛Mobile☛ State☛ District☛Select School/Name of the School☛Aadhar Number☛Password (minimum 6 characters) ☛Confirm Password☛Type of School
2. उक्त के उपरान्त शिक्षक द्वारा Registration form भरने की प्रक्रिया : अप्रशिक्षित शिक्षक के उक्तानुसार Entry करने के उपरान्त शिक्षक अपने Email-ID अथवा Mobile No. एवं पूर्व में डाले गये Password के द्वारा login किया जायेगा ☛Name of the candidate☛Father's Name☛Mother's Name☛ Address☛District ☛State ☛Pin code☛Aadhar No/ Voter ID☛Date of Birth☛Religion ☛ Gender ☛Category ☛Disability ☛Optional Teaching☛Percentage in class XII☛Year of Passing XII☛Date of appointment☛submit☛ payment☛online payment gateway (प्रथम वर्ष हेतु आवेदन शुल्क रू0 4500.00)
3. अप्रशिक्षित शिक्षकों के सेवारत विद्यालय के Principal द्वारा Registration एवं सत्यापन (Authentication) की प्रक्रिया : (a). विद्यालय के UDISE CODE होने की स्थिति में (having UDISE CODE)☛UDISE CODE☛Type of School☛Name of School☛Name of Principal☛Number of Untrained teachers☛Email-ID☛ Mobile☛ Aadhar No. ☛Password (6 characters) ☛confirm Password अथवा (b). विद्यालय के UDISE CODE नहीं होने की स्थिति में (without having UDISE CODE)☛State ☛DistrictT☛Name of Principal ☛Select school☛type of School☛Number of Untrained teachers☛ Email-ID ☛ Mobile☛Aadhar No. ☛Password (6 characters) ☛confirm Password

4. उक्त के उपरान्त Principal द्वारा Aauthentication अपने Email-ID अथवा Mobile No. एवं पूर्व में डाले गये Password के द्वारा login कर किया जायेगा ☛Authentication by the Principal (Ref No., Name, Aadhar No., Application status, Authentication,Enrolment no.)

नोट : ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके D.El.Ed. प्रशिक्षण हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता कक्षा–XII या समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक 50 % या उससे अधिक नहीं हैं (SC/ST/OBC/PH अभ्यर्थियों को 5% Relaxation) उन्हें प्रशिक्षण में औपबन्धिक (Provisionally) प्रवेश दिया जायेगा एवं इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को कक्षा–XII के अंक सुधार हेतु NIOS की कक्षा–XII की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा तथा ऐसे शिक्षकों के कक्षा–XII में प्राप्तांक 50 % या उससे अधिक होने की स्थिति में ही उनका D.El.Ed प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) एवं विकास खण्ड में कार्यरत् उप शिक्षा अधिकारी उक्त सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ, जनपद के समस्त विद्यालय को उक्त सूचना से अनिवार्यतः अवगत करायेंगे। विस्तृत सूचना विद्यालयी शिक्षा की वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in में उपलब्ध है।

ह0/–
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

कार्यालय : निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।

पृ0सं0 : प्रा0शि0–दो(2)/ 13702-07 /17(iv) /2017–18 दिनांक 23 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01– सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

02– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

03– अपर निदेशक (प्रा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि मण्डान्तर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को उक्त सूचना के अनुपालान हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

04– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे जनपदान्तर्गत समस्त विद्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें एवं जनपद के दो व्यापक संचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में उक्तानुसार विज्ञप्ति प्रकाशित करने का कष्ट करें। इसके साथ ही जनपद के अन्तर्गत अप्रशिक्षित शिक्षकों की कुल संख्यात्मक सूचना, दिनांकः 25 अगस्त, 2017 तक निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

05– समस्त उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना से विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें एवं राजकीय विद्यालयों की स्थिति में अप्रशिक्षित शिक्षकों के D.El.Ed. प्रशिक्षण हेतु Registration की कार्यवाही में शिक्षक को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा अप्रशिक्षित शिक्षक के Registration का authentication उनके द्वारा किया जायेगा।

06– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान/टाइम्स ऑफ इण्डिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दिनांकः 24 अगस्त, 2017 को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में जिनका राज्य के दोनों मण्डलों में व्यापक प्रचार–प्रसार हो, डी0ए0वी0पी0 दरों पर न्यूनतम स्थान पर Font size 11 में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वी0 एस0 रावत)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड